न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 6035   दिनांक – 06/11/24

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण

1 पेमाराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

1 मांगाराम 2 मोहनराम 3 सिमरथाराम पिसरान सोनाराम 4 हरतु पत्नी सोनाराम 5 पदमाराम 6 मदनलाल पिसरान मेहराराम 7 मेहराराम पुत्र ताराराम 8 हनुमानराम पुत्र मेहराराम 9 नरसींगाराम 10 बालुराम 11 लूभाराम पिसरान नवलाराम 12 चनणाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकाम 12/1 शेम्भुराम 12/2 खीमाराम 12/3 मदन 12/4 विक्रमचंद 12/5 टीकमचंद जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 384/2024   दिनांक– 25.10.2024

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 138/110 रकबा 1.7725 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2024/ 6036-39   दिनांक– 06/11/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पेमाराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मांगाराम पुत्र सोनाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.26 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर